**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3555**

**03.04.2017 को उत्तर के लिए**

**आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण और उनका लुप्त होना**

**3555. श्रीमती अम्बिका सोनी:**

 **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पहचानी गर्इ आर्द्रभूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कर्इ आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण किया गया है और उनमें से कुछ लुप्त हो गर्इ हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) आर्द्रभूमि की सुरक्षा और उनके संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने धड़ल्‍ले से किए जा रहे अतिक्रमण के कारण आर्द्रभूमि को खतरे के संबंध में सेन्टर फॉर वॉटर रिसोर्स डिवेलप्मेंट एंड मैनेजमेंट (सी डब्ल्यू आर डी एम) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर किया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) अभी तक 24 राज्‍यों और दो संघ शासित प्रदेशों में 115 आर्द्रभूमियों को मंत्रालय के राष्‍ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (एनडब्‍ल्‍यूसीपी) के अंतर्गत संरक्षण और प्रबंधन हेतु अभिज्ञात किया गया है। इन आर्द्रभूमियों की राज्‍य-वार सूची अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (ग) त्‍वरित शहरीकरण, औद्योगीकरण, विभिन्‍न विकासात्‍मक कार्यकलापों और अन्‍य मानव जनित दबावों के कारण देश में कुछ आर्द्रभूमियों के प्रभावित होने की सूचना मिली है।

(घ) मंत्रालय ने देश में अभिज्ञात झीलों और आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु पूर्व में दो अलग-अलग कार्यक्रमों, नामश: राष्‍ट्रीय आर्द्रभमि संरक्षण कार्यक्रम (एनडब्‍ल्‍यूसीपी) और राष्‍ट्रीय झील संरक्षण योजना (एनएलसीपी) को कार्यान्वित किया था। बेहतर सामंजस्‍य करने और अतिव्‍याप्ति (ओवरलैप) को रोकने के लिए दोनों कार्यक्रमों को फरवरी, 2013 को राष्‍ट्रीय जलीय पारि-प्रणाली संरक्षण योजना (एनपीसीए) की एकीकृत स्‍कीम में विलय कर दिया गया है। इस स्‍कीम के अंतर्गत शामिल किए गए विभिन्‍न कार्यकलापों में अपशिष्‍ट जल का अवरोधन, दिशा परिवर्तन और शोधन, तटरेखा की सुरक्षा, झील तटाग्र विकास, गाद-हटाने, जैव-उपचार, आवाह क्षेत्र का उपचार, झील का सौंदर्यकरण, सर्वेक्षण और सीमाकंन, जैव-बाढ़ लगाने, मत्‍स्‍यन विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैवविविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, सामुदायिक भागीदारी आदि हैं। अभी तक देश में 82 अभिज्ञात आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु राज्‍यों और अन्‍य संगठनों को 151.94 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है। इसी के अनुरूप इस मंत्रालय ने अभी तक 14 राज्‍यों में 63 झीलों के संरक्षण हेतु 1096.09 करोड़ रूपये की कुल लागत पर परियोजनाओं को स्‍वीकृति प्रदान की है। अभी तक स्‍वीकृत परियोजनाओं के लिए 687.588 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है और 34 झीलों पर कार्य पूर्ण किया गया है।

केन्‍द्रीय सरकार ने देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 अधिसूचित किए है। नियम के तहत, रामसर स्‍थलों के रूप नामोद्दिष्‍ट की गई 25 आर्द्रभूमियों को आर्द्रभूमियों के भीतर कार्यकलापों के विनियमन के लिए अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, एकीकृत पद्धति में झीलों, आर्द्रभूमियों और अन्‍य जल निकायों को संरक्षित करने के लिए सभी राज्‍यों को राज्‍य आर्द्रभूमि/झील प्राधिकरणों के गठन, प्राथमिकता प्राप्‍त आर्द्रभूमियों की पहचान करने और उन्‍हें अधिसूचित करने, एकीकृत प्रबंधन योजनाओं का विकास, प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्‍वयन हेतु संसाधन जुटाने, मानीटरी और मूल्‍यांकन, अनुसंधान-प्रबंधन सुदृढ़ बनाने, इत्‍यादि के लिए उच्‍च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए परामर्श दिया गया है।

(ड.) और (च) केरल सरकार ने सूचित किया है कि जल संसाधन विकास और प्रबंधन केन्‍द्र (सीडब्‍ल्‍यूआरडीएम) कोजीकोड ने वर्ष 2014 में नॉर्थ कोलकता की कावई आर्द्रभूमि के लिए विस्‍तृत प्रबंधन कार्य योजना (एमएपी) तैयार की थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि कावई, जो एक विशाल तटीय पश्‍चजल आर्द्रभूमि है, भू-सुधार और अतिक्रमण, त्‍वरित शहरीकरण, औद्योगीकरण, विभिन्‍न विकासात्‍मक कार्यकलापों और अन्‍य मानव जनित दबावों से खतरे का सामना कर रही है। तदुपरांत सीडब्‍ल्‍यूआरडीएम ने विभिन्‍न स्‍थानीय स्‍व-शासी संस्‍थानों और मत्‍स्‍यन, वन, सिंचाई आदि जैसे विभागों के माध्‍यम से कावई आर्द्रभूमि के प्रबंधन कार्य योजना के अंतर्गत कुछ चयनित घटकों के कार्यान्‍वयन हेतु केरल सरकार द्वारा स्‍वीकृत परियोजना शुरू की है।

केरल सरकार ने राज्‍य में समग्र और एकीकृत रीति से सभी आर्द्रभूमियों और झीलों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु पर्यावरण मंत्री, केरल सरकार की अध्‍यक्षता में नवम्‍बर, 2015 को एक राज्‍य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का भी गठन किया है।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

**'आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण और उनका लुप्त होना' के संबंध में सोमवार, दिनांक 03 अप्रैल, 2017 को उत्‍तर दिए जाने के लिए श्रीमती अम्बिका सोनी एवं डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 3555 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुबंध**

**राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (एनडब्‍ल्‍यूसीपी) के तहत अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की राज्‍य-वार सूची**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **क्रम. सं.** | **आर्द्र भूमि** |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1. | कोल्‍लेरु |
| 2. | असम | 2. | दीपर बील |
| 3. | उरपदबील |
| 4. | सोन बील  |
| 3. | बिहार | 5. | काबर |
| 6. | बरिल्‍ला |
| 7. | कुशेश्‍वर स्‍थान |
| 4. | गुजरात | 8. | नालसरोवर |
| 9. | ग्रेट रण और कच्‍छ  |
| 10. | थोल पक्षी अभ्‍यारण्‍य  |
| 11. | खिजादिया पक्षी अभ्‍यारण  |
| 12. | लिटिल रण ऑफ कच्‍छ |
| 13. | पैरिएज |
| 14. | वधवाना |
| 15. | ननिकाक्रद |
| 5. | हरियाणा | 16. | सुल्‍तानपुर |
| 17. | भिण्‍डावस |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 18. | रेणुका |
| 19. | पोंग डैम  |
| 20. | चन्‍द्रताल |
| 21. | रेवलसर |
| 22. | खज्जिआर |
| 7. | जम्‍मू और कश्‍मीर  | 23. | वुलर |
| 24. | टीसो मोरारी |
| 25. | टिसगुलटीसो और चिसुल मार्शेस |
| 26. | होकरसर |
| 27. | मानसर-सुरिनसर |
| 28. | रणजीतसागर |
| 29. | पंगोंग टीसर |
| 30. | घराना |
| 31. | हायगम |
| 32. | मिरगुंड |
| 33. | सालबाग |
| 34. | चुसूल एवं हेनली |
| 8. | झारखंड | 35. | उधवा |
| 36. | तिल्लिया बांध |
| 9. | कर्नाटक | 37. | मगधी |
| 38. | गुदावी पक्षी अभयारण्‍य  |
| 39. | बोनल |
| 40. | हिदकल और घटाप्रभा |
| 41. | हेग्‍गरी |
| 42. | रंगनथिट्टु |
| 43. | के.जी. कोप्‍पा आर्द्रभूमि |
| 10. | केरल | 44. | अष्‍टमुडि |
| 45. | सश्‍थमकोट्टा |
| 46. | कोट्टुलि |
| 47. | काडूलांदी |
| 48. | वेम्‍बनाड कोल  |
| 11. | मध्‍य प्रदेश  | 49. | बरना |
| 50. | यशवंत सागर  |
| 51. | केन नदी की आर्द्रभूमि  |
| 52. | राष्‍ट्रीय चम्‍बल अभयारण्‍य  |
| 53. | घाटीगांव |
| 54. | रातापानी |
| 55. | देनवां तावा  |
| 56. | कान्‍हा बाघ रिजर्व |
| 57. | पेंच बाघ रिजर्व |
| 58. | सख्‍यसागर |
| 59. | दिहाईला |
| 60. | गोविन्‍दसागर |
| 61. | सिरपुर |
| 12. | महाराष्‍ट्र | 62. | उजनी |
| 63. | जायाकावाडी |
| 64. | नलगंगा आर्द्रभूमि |
| 13. | मणिपुर | 65. | लोकटक |
| 14. | मेघालय | 66. | उमियम झील |
| 15. | मिजोरम | 67. | तामडिल |
| 68. | पलक |
| 16. | उड़ीसा | 69. | चिल्‍का |
| 70. | कुआनरिया  |
| 71. | कंजिया  |
| 72. | दाहा  |
| 73. | अनुसुपा |
| 17. | पंजाब | 74. | हरिके |
| 75. | रोपड़ |
| 76. | कंजलि |
| 77. | नांगल |
| 18. | राजस्‍थान | 78. | साम्‍बर |
| 19. | सिक्किम | 79. | खेचुपेरीहोली लेक  |
| 80. | तमजे आर्द्रभूमि  |
| 81. | तेमबाबु आर्द्रभूमि परिसर |
| 82. | फेनडंग आर्द्रभूमि परिसर |
| 83. | गुरूडोकमर आर्द्रभूमि |
| 84. | टीसोमगो आर्द्रभूमि  |
| 20. | तमिलनाडु | 85. | प्‍वाइंट कैलीमेर |
| 86. | कलिवेली |
| 87. | पल्‍लाइर्कर्णी |
| 21. | त्रिपुरा | 88. | रुद्रसागर |
| 89. | गुमटी रिजर्वायर |
| 22. | उत्‍तर प्रदेश | 90. | नवाबगंज |
| 91. | संदी |
| 92. | लख बाहोशी  |
| 93. | समासपुर |
| 94. | अलवारा आर्द्रभूमि  |
| 95. | सेमराय झील |
| 96. | नगारिया झील  |
| 97. | कीथम झील  |
| 98. | शेखा आर्द्रभूमि  |
| 99. | समन पक्षी अभयारण्‍य  |
| 100. | सरसाईनवार |
| 101. | पटना पक्षी अभयारण्‍य  |
| 102. | चंदोताल |
| 103. | ताल भघेल  |
| 104. | ताल गम्‍भीर्वन और ताल सलोना |
| 105. | आडी जल जीव झील  |
| 23. | उत्‍तराखंड | 106. | बाण गंगा झिलमिल ताल  |
| 107. | असन |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 108. | पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि |
| 109. | सुंदरवन |
| 110. | अहीरों बील  |
| 111. | रसिक बील  |
| 112. | संत्रगाची |
| 113. | पटलखावा– रसोमती  |
| 25. | चंडीगढ़ (संघ राज्‍य क्षेत्र) | 114. | सुखना |
| 26. | पुदुचेरी(संघ राज्‍य क्षेत्र) | 115. | औसटेरी झील  |